

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025

क्रमांक / ८५४ /स्टेनो/2026

नर्मदापुरम, दिनांक :- 23/04/2026

मैं फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 12 एवं 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2025 आदेश क्रमांक 96/स्टेनो/2025 नर्मदापुरम दिनांक 01.07.2025 की कंडिका क्रमांक 18 के पश्चात् नवीन कंडिका क्रमांक 18-ए जोड़ता हूँ एवं आपराधिक कार्यप्रभार सूची-अ में तहसील न्यायालय सोहागपुर में कंडिका क्रमांक 1 एवं 2 में निम्नानुसार संशोधन कर नवीन कंडिका क्रमांक 2-ए जोड़ता हूँ तथा आदेश क्रमांक 57/स्टेनो/2026 नर्मदापुरम दिनांक 13.02.2026 की कंडिका क्रमांक 16 के स्तंभ क्रमांक 4 से कंडिका क्रमांक 3 एवं 4 विलोपित करता हूँ जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, दिनांक 24.04.2026 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ क्र. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।
01.	02.	03.	04.
18-ए	सुश्री अपेक्षा यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर		1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 2. आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना। 3. आरक्षी केंद्र सोहागपुर से उत्पन्न लैंगिक एवं महिलाओं के प्रति हुए अपराधों एवं अन्य अपराधों से संबंधित प्रकरण के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं. प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना व सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों के धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के कथन लेखबद्ध किया जाना।

आपराधिक कार्य प्रभार सूची – “अ”

प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से कार्य विभाजन पत्रक प्रभावशील दिनोंक 2025 से तहसील न्यायालय सोहागपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति/रिक्त न्यायालय रहने की दशा में उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य एवं धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के अंतर्गत लेखबद्ध किये जाने वाले कथन का उनके सम्मुख दर्शाए गए उपस्थित मजिस्ट्रेट द्वारा (धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) के अधीन (2) **जहां कथन अभियोक्त्री का है, वहां वह धारा 183 भा.ना.सु.स. 2023 (धारा 164 दं.प्र.सं.) की उप-धारा (6-क)** के अंतर्गत महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा) अभिलिखित किया जाएगा। घटते अनुक्रम में तहसील न्यायालय में नामांकित मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रभार देखेंगे—

तहसील न्यायालय—सोहागपुर

क्रमांक	न्यायालय का नाम	न्यायालय जो आवश्यक कार्य घटते अनुक्रम में उपलब्धता के आधार पर करेंगे
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर श्रीमती संगीता डावर मौर्य	- न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर श्री तेजदीप सिंह सासन - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर सुश्री अपेक्षा यादव - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया सुश्री निशा रघुवंशी - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री मनीष कुमार पारिक - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री अखिलेश चाण्डक - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्रीमती दिशा चाण्डक
2.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर श्री तेजदीप सिंह सासन	- न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर सुश्री अपेक्षा यादव - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर श्रीमती संगीता डावर मौर्य - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री अखिलेश चाण्डक - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्रीमती दिशा चाण्डक - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री मनीष कुमार पारिक - न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया सुश्री निशा रघुवंशी

2-ए	न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर सुश्री अपेक्षा यादव	1. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर श्री तेजदीप सिंह सासन 2. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, सोहागपुर श्रीमती संगीता डावर मौर्य 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया सुश्री निशा रघुवंशी 4. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री मनीष कुमार पारिक 5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्री अखिलेश चाण्डक 6. न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिपरिया श्रीमती दिशा चाण्डक
-----	---	---

अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

अनुमोदित

Shamsh 23/4/2026

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश

जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)

23/4/26

फिरोज अख्तर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

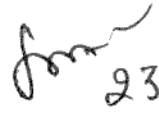
कार्यालय / न्यायालय :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-फिरोज अख्तर

क्रमांक / / पृ.क. / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 23 / 04 / 2026

प्रतिलिपि:-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी./एस.टी. एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी/ए.पी.पी नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

 23/4/26

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम